



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 0121
फैक्स- 011- 25846462
दुना: jkT; Qke] l jnkjx< %jkt-%
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrc@gmail.com, agricsfsrc@gmail.com

क्रमांक: — सर/उद्यान/4-15/2015-16-1093

दिनांक: — 2015

uhykeh l puk

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला-श्रीगंगानगर (राजस्थान) में स्थित बाग के फलों की वर्ष 2015-16 के लिये नीलामी दिनांक 09.04.2015, व आवश्यकतानुसार 16.04.2015 व 25.04.2015 को सरदारगढ रेलवे स्टेशन के सामने स्थित फार्म मुख्यालय में सांय 3.00 बजे तक टेण्डर दिये जायेगे तथा सांय 3.30 बजे तक सिलबन्द निविदा टेण्डर बॉक्स में डालने होंगे एवं उसके पश्चात खुली नीलामी की जायेगी। इच्छुक ठेकेदार अपने पहचान के साक्ष्य के तौर पर चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान-पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस तथा पेन कार्ड की छाया प्रति के साथ मोहरबन्द निविदा निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ के नाम उपरोक्त समय तक भेज सकते हैं जो कि इस कार्यालय में उपरोक्त दिनांक को दोपहर 3.30 बजे तक पहुँच जानी चाहियें। मोहरबन्द निविदा के साथ धरोहर राशि रुपये 80,000/- (रुपये अस्सी हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि "jkVh; cht fuxe fyfeVM l jnkjx<" के नाम से सुरतगढ में देय हो के साथ को संलग्न कर भेजना होगा। बैंक ड्राफ्ट के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं होगी। टेन्डर फार्म की कीमत रुपये 200/- (जिसमें योजित मूल्य कर शामिल है)अलग से जमा करानी होगी ।

Ø- I-	Ckkx dk uke	Qyk dk uke	{k=Qy gDV; j
1	किन्नो बाग	किन्नो फल	23.0
2	माल्टा बाग	माल्टा की विभिन्न किस्में नींबू, बनारसी नींबू	6.8
3	नर्सरी बाग	नर्सरी बाग में विभिन्न किस्मों के समस्त फल तथा आंवला एवं थेड़ी बाग के आम सहित	3.2
4	मौसमी बाग	माल्टा मौसमी	10.6
5	अमरुद बाग	अमरुद फल एल-49 एवं इलाहाबादी सफेदा	13.8
6	नींबू बाग	कागजी नींबू	13.4
		dy {k=Qy gDV; j %&	70-8

सफल बोलीदाता की धरोहर राशि तथा प्रतिभूति राशि कार्य संतोषजनक पूरा होने पर ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल बोलीदाता की धरोहर राशि बिना ब्याज के बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी। उच्चतम बोली की 25 फीसदी राशि तुरन्त जमा करवानी होगी तथा सफल बोलीदाता को ठेके की स्वीकृत रकम का 8 फीसदी प्रतिभूति राशि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 48 घन्टों में जमा करवानी होगी । नियम व शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में फार्म के उद्यान शाखा से प्राप्त की जा सकती है तथा इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखा जा सकती है।

नोट: —

1. दिनांक 09.04.2015 को नीलामी ना होने पर उपरोक्त बाग की पुनः नीलामी एवं निविदायें दिनांक 16.04. 2015, व 25.04.2015 को निर्धारित समय एवं उसी स्थान पर होगी।
2. इच्छुक ठेकेदार / पार्टी का PAN No. / पेन कार्ड होना अनिवार्य है ।

m|ku vf/kdkjh
Ñr: iHkkjh fun'kd

Jheku egkic/kd %mRiknu% jk-fc-fu] ubi fnYyh dk l pukFk ,o e[;ky; ifrfuf/k mijkDr
frfFk;k ei Hk tu gr fuonu gA



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
दुर्लभ; जित; के। लिंकज< जित-
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsfsg@gmail.com

फुफन के। क्ख द। क्क द। फुयके ग्र। ०"क 2015&16 द। फु,

क्रमांक:—.....

दिनांक :—

Ø-।-	क्ख द। के	{k=Qy ½gDV; j e½	jde tk vnk djuk gA
1.	किन्नों बाग के फल	23.00	रु.....
2.	नर्सरी बाग के फल	3.20	
3.	माल्टा/नींबू बाग के फल	6.80	
4.	माल्टा/मौसमी बाग के फल	10.60	
5.	अमरुद बाग के फल लखनऊ एवं इलाहाबादी सफेदा	13.80	
6.	कागजी नींबू	13.40	
	; kx %&	70.80	

उपरोक्त बाग के फलों की नीलामी हेतु नियम व शर्तें मुझे स्वीकार हैं और मैंने घोषित धरोहर राशि फार्म खजान्ची के पास बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करा दी है और मैंने अपना पहचान पत्र व पान कार्ड की प्रतिलिपि भी जमा करा दिया है।

नाम :—

पिता का नाम :—

पूरा पता :—

मोबाईल न०.....

पान न०.....



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिस्ट्रल कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; QkeI l jnkjx< %jkt-%
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsg@gmail.com, agricsfsg@gmail.com

uhykeh o"K 2015&16 dh fu;e o 'kr

1. ठेकेदार को टेन्डर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र/ ड्राइविंग लाइसेन्स/ खेत का खसरा-खतोनी तथा पैन कार्ड आदि की छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हों। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत कम्पनी है तो उसे कम्पनी का पार्षद सीमा नियम/अर्न्तनियम, पंजीकरण प्रमाण-पत्र व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची व उक्त वर्णित कागजात में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
2. प्रत्येक बोलीदाता को बोली/टेन्डर में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि (ईएमडी) 80000/— **cid MkV tk fd Mjk"Vh; cht fuxe fyfeVM l jnkjx<** d uke l l jrx< e n; gk dk [ktkUph d ikl tek djokuh gkxh**, बागों की बोली यदि प्रत्येक लाट या उद्यान के हिसाब से अलग-अलग की जाती है तो प्रत्येक लाट/उद्यान की बोली हेतु धरोहर धन राशि अलग-अलग जमा करनी होगी जो कि असफल बोली दाता को धरोहर राशि चैक द्वारा वापिस की जायेगी। बोली स्थल पर कोई अस्त्र शस्त्र ले जाना निषिद्ध है। सन्देहास्पद दशा में तलाशी भी ली जा सकती है।
3. फार्म द्वारा बाग के फलों के ठेके की स्वीकृति सफल बोलीदाता/निविदादाता को जारी होने के 48 घन्टों में ठेके की स्वीकृत रकम का 8% के बराबर प्रतिभूति राशि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा फार्म में जमा करवानी होगी।
4. फार्म प्राधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने पर कि ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों द्वारा फार्म को कोई हानि नहीं हुई है तथा ठेका शर्तों के अनुसार सन्तोषजनक पूरा हो गया है। ठेकेदार द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी। जमा की गयी धरोहर व प्रतिभूति राशियों पर फार्म द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा किसी भी परिस्थिति में यह राशि फलों के एवज में ठेकेदार द्वारा जमा की जाने वाली राशि में समायोजित नहीं की जायेगी।
5. अगर सफल बोली/निविदा दाता प्रतिभूति राशि 48 घन्टों में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा फार्म में जमा नहीं कराता है तो उसके द्वारा ठेके में भाग लेने हेतु जमा करवायी गयी धरोहर राशि रु 80000/— फार्म द्वारा जब्त कर ली जायेगी व ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

- 6- निदेशक, के0रा0फार्म, सरदारगढ़ को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये बोली को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दे।
7. खरीददार को बाग के फल तोड़ने के अधिकार की अवधि विभिन्न फलों के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी जिसको फलों की नीलामी के समय फलों की प्रकृति एवं स्वभाव अनुसार अवगत कराया जाएगा। ज्यों ही फलों के चुनाई का समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का फलवृक्षों व उन पर लगे फलों पर कोई अधिकार नहीं होगा। ठेके की शर्तों के अनुसार निश्चित राशि का भुगतान करके फलों की तुड़ाई शीघ्रातिशीघ्र कर ली जाये। फलों की तुड़ाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी। खरीददार/ठेकेदार को विभिन्न फलों को 31.03.2016 तक तोड़ने का अधिकार होगा।
8. बाग की जुताई, निराई, सिंचाई, दवाओं का छिड़काव व अन्य वांछित कार्य समय समय पर आवश्यकतानुसार व उपलब्धतानुसार कराये जायेंगे। ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकारी नहीं होगा कि वह इन कार्यों को निर्धारित समय से पूर्व अथवा अधिक करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करे।
9. यदि कोई व्यक्ति बिना ठेकेदार की जानकारी के फल तोड़ता हुआ पाया जाता है तो ठेकेदार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को देगा।
10. फलों को तोड़ने व सभी प्रकार की सुरक्षा का पूर्ण जिम्मेदार ठेकेदार होगा। किसी दैविक प्रकोप से हुए नुकसान के लिए बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा। अगर ठेकेदार चाहे तो उसे अपने खर्च व जोखिम पर फलों का बीमा कराने की अनुमति होगी। नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखाड़ना, सूखना, बीमारी/कीड़ों/वर्षा/पाला आदि (प्राकृतिक/अप्राकृतिक)से कोई हानि ठेकेदार को हाती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा। बोली दाता ही स्वयं उक्त हानि स्वयं को वहन करेगा।
11. यदि खरीददार फलों का एकत्रीकरण व चुनाई का कार्य अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करना चाहता है तो वह एक अधिकार पत्र एवं प्रार्थना-पत्र केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ के सक्षम अधिकारी को स्वीकृति के लिये अनुबंध पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। फल तोड़ने के लिए खरीददार अपने द्वारा लगाये गये व्यक्तियों के नाम व पते, जो बाग में रहेंगे फार्म से सम्बन्धित अधिकारी व निदेशक को सूचित करेगा। फार्म अधिकारी द्वारा स्वीकृत ठेकेदार के नामित प्रतिनिधि /कार्यकर्ता मात्र ही फलों की तुड़ाई, सुरक्षा पैकिंग ढुलाई, आदि ठेके से सम्बन्धित कार्यों हेतु फार्म के उद्यान/सुरक्षा अधिकारी की अनुमति से फार्म/उद्यान परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।

12. यदि कुछ फल फार्म द्वारा परीक्षण आदि के लिए तोड़े गये तो खरीददार उनका विरोध नहीं करेगा तथा कुछ फल अधिकतम 5 कि० मी० फार्म के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जिसकी कोई कीमत नहीं दी जाएगी। फल वृक्षों से कलम आदि लेने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा, यदि इससे फलों को कोई नुकसान होता है तो उसका कोई हर्जाना नहीं दिया जाएगा।
13. यदि फार्म की सम्पत्ति को कोई हानि ठेकेदार या उसके किसी आदमी के किसी कृत्य द्वारा होती है तो उसके लिए ठेकेदार/खरीददार जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म निदेशक द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। इस पर कोई भी आपत्ति तथा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा। झगड़ा या मतभेद के मामले में निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ का निर्णय अन्तिम होगा।
14. नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/खरीददार फलों की सुरक्षा, चुनाई/तुड़ाई, पैकिंग, ढुलाई आदि समस्त फल विपणन कार्य अपने जोखिम व खर्च पर करेगा साथ ही सभी कर व अन्य प्रभार जैसे चूँगी, नगरपालिका आदि से यदि हो तो फल ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
15. खरीददार द्वारा शर्तों की अवहेलना करने पर निदेशक, के०रा०फार्म सरदारगढ़ को जमा की गई धरोहर राशि, प्रतिभूति राशि व अन्य चुकाई गई राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। खरीददार बिना निदेशक महोदय की लिखित आज्ञा के कोई भी किसी प्रकार का सौदा या भागीदारी व अन्य हस्तांतरण किसी अन्य बोलीदाता या किसी व्यक्ति से/को नहीं करेगा।
16. इस सौदे के लिए रू० 100/- (रुपये एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध ठेकेदार को करना होगा। स्टाम्प पेपर हुए खर्च को ठेकेदार वहन करेगा। यह अनुबंध ठेका स्वीकृत होने के 3 दिनों के अन्दर ही करना होगा।
17. खरीददार फार्म एरिया में कोई पशु आदि नहीं रखेगा, ना ही घास फूस आदि काटेगा और फार्म की बिजली का प्रयोग भी नहीं करेगा। यदि फार्म द्वारा बिजली का प्रबंध संभव होता है तो फार्म द्वारा निश्चित की गई राशि मासिक अन्तराल पर अग्रिम आधार पर ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म खजांची के पास जमा करानी होगी।

18. नीलामी के पश्चात अगर बोली दाता समय पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं करता है तो उसे फल तोड़ने से रोका जा सकता है जिसके नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी साथ ही देरी से धन जमा करने पर 18% ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। बकाया रकम व ब्याज जमा न करने पर बिना सूचना दिये, ठेके को रद्द कर पुनः ठेका कराया जा सकता है या फार्म अपने स्तर पर बचे फलों की नीलामी बेच सकता है। जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। ठेकेदार की धरोहर धनराशि प्रतिभूति राशि व अन्य जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि पुनः ठेका की प्रक्रिया में कोई हानि फार्म के हानि होती है तो उसकी उगाही ठेकेदार से की जा सकती है।
19. शर्तों की अवहेलना करने पर बाग की दोबारा नीलामी उच्चतम बोली दाता की जिम्मेदारी पर कर दी जाएगी। उस हालत में धरोहर धनराशि व प्रतिभूति राशि और उस वक्त तक जमा की गयी राशि फार्म में ठेकेदार द्वारा जमा किया गया है, को जब्त कर ली जाएगी। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धन राशि आती है तो वह राशि प्रथम बोली दाता से वसूली जाएगी।
20. साधारणतया फलों को बगीचे से बाहर ले जाने के लिए अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 07:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक होगी। किसी भी भार वाहन द्वारा फल ले जाने से पहले फलों का वजन फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करवा कर गेट पास लेना आवश्यक होगा।
21. यदि कोई भी बोली दाता किसी कम्पनी या संस्था का प्रतिनिधित्व करता है तो बोली बोलने वाले को संस्था या कम्पनी द्वारा प्रमाणित हस्ताक्षर तथा बोली देने का अधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. ठेकेदार, उसके प्रतिनिधि या कार्यकर्ताओं को कोई भी अस्त्र-शस्त्र लेकर उद्यान या फार्म में प्रवेश करने, बिना अनुमति जबरन फल तोड़ने या उपद्रव करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
23. ठेकेदार या उसका कोई भी आदमी फार्म के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी से झगड़ा नहीं करेगा सभी शर्तों का पालन करेगा व अपना आचरण अच्छा रखेगा। यदि फार्म, ठेकेदार के आचरण को अनुचित पाता है या उसे शर्तों का पालन करने में असमर्थ पाता है तो उसे 5 वर्ष के लिए काली सूची में डाला जा सकता है।
24. खरीददार की उच्चतम बोली की धनराशि जमा करने की शर्तें:—
1. ठेकेदार को नीलामी धनराशि का 25% बोली मंजूर होने के तुरंत बाद जमा करना होगा। यदि कोई ठेकेदार पूरी राशि तुरंत जमा नहीं कर पाता है तो बकाया राशि 18% वार्षिक ब्याज के साथ दो दिन के अन्दर जमा करवानी होगी। निर्धारित समस्त धनराशि जमा करने पर ही ठेके का अनुबन्ध कर कार्य का आदेश जारी किया जायेगा। अगर पूरी राशि दो कार्य दिवस में जमा नहीं की जाती है तो उस अवस्था में धरोहर राशि व जमा की गई राशि फार्म द्वारा जब्त की जा सकती है।

2. ठेकेदार को नीलामी धन राशि का शेष 75% बोली मंजूर होने के दिन से एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा है। अगर विभिन्न फल फसलों को एक साथ नीलामी किया जाता है तो 75% नीलामी धन राशि जमा करने की निश्चित समय/अन्तरालों की सूचना फार्म द्वारा नीलामी के समय दी जायेगी।

नीलामी धन राशि जमा करने की निश्चित तिथियाँ:— यदि विभिन्न फसलों की नीलामी एक साथ की जाती है तो 75% बकाया धन किस्तों में देना होगा जो कि निम्न प्रकार निश्चित होगा।

- क. 25% धनराशि दिनांक 15.07.2015 तक जमा करनी होगी यदि इस तिथि से पहले ठेकेदार (फल/किस्म का नाम) बाग के फल तोड़ना चाहता है तो उसे यह धन राशि फल तोड़ने से पहले ही जमा करनी होगी तत्पश्चात ही उसे तोड़ने दिया जाएगा।
- ख. 30% धनराशि दिनांक 15.09.2015 तक जमा करनी होगी यदि इस तिथि से पहले ठेकेदार (फल/किस्म का नाम) बाग के फल तोड़ना चाहता है तो उसे यह धन राशि फल तोड़ने से पहले ही जमा करनी होगी तत्पश्चात ही उसे तोड़ने दिया जाएगा।
- ग. 20% धनराशि दिनांक 15.11.2015 तक जमा करनी होगी यदि इस तिथि से पहले ठेकेदार (फल/किस्म का नाम) बाग के फल तोड़ना चाहता है तो उसे यह धन राशि फल तोड़ने से पहले ही जमा करनी होगी तत्पश्चात ही उसे तोड़ने दिया जाएगा।

25 किस्तों का निर्धारण फार्म द्वारा फलों की किस्म ,फलों के पकने का समय, फलों की मात्रा व कीमत के अनुपात के अनुसार किया जायेगा। अन्तिम किस्त 15 नवम्बर तक ठेकेदार द्वारा फार्म पर जमा करवानी होगी।

26 अगर खरीददार समय पर निर्धारित धनराशि जमा नहीं कराता है तो उसे फल तोड़ने से रोका जा सकता है साथ ही देरी से धन जमा करने पर 18% ब्याज प्रतिवर्ष की दर से देय होगा, जो अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर जमा करना होगा। तत्पश्चात भी अगर बकाया किस्त जमा नहीं की जाती तो ठेके को पुनः ठेका कराया जा सकता है जिसके लिए ठेकेदार कोई विरोध नहीं करेगा। बाग की दोबारा नीलामी ठेकेदार की जिम्मेदारी पर कर दी जायेगी।

27 ठेकेदार को अपनी किस्तें समय पर या पूरी राशि जो अनुबंध में होगी एक मुश्त ही जमा करानी होगी। किस्तें टुकड़ों में स्वीकार नहीं की जायेगी। अगर किस्त समय पर जमा नहीं की जाती है तथा दूसरी किस्त का समय आ जाता है तो पिछली किस्त जमा न होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। यदि ठेकेदार फार्म द्वारा निर्धारित की गयी तिथियों पर भुगतान नहीं करता है तो फार्म को यह अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा जमा करवायी गयी धरोहर राशि , प्रतिभूति राशि व उस समय तक जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी व ठेका बिना किसी सूचना के समाप्त कर दोबारा कर दिया जाएगा। यदि दोबारा नीलामी में पहली बोली से कम धनराशि आती है तो वह राशि प्रथम ठेकेदार से वसूल की जायेगी।

- 28 यदि आयकर अधिनियम व राज्य सरकार के किसी अगर कोई कर/उपकर लागू होता है तो सम्बन्धित ठेकेदार चुकाएगा।
- 29 ठेकेदार द्वारा लगाये गये व्यक्ति फार्म एरिया में जंगली या प्रतिबन्धित जानवरों का शिकार नहीं करेगा और न ही उन्हें परेशान करेगा यदि ऐसा पाया गया तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 30 बोली छूटने के बाद के वृक्षों अथवा फलों में यदि किसी बीमारी या कीड़ों का प्रकोप होता है तो इनकी रोकथाम हेतु भरपूर पौध संरक्षण प्रयास फार्म द्वारा किए जायेंगे। यदि पौध संरक्षण अधिकारी व उद्यान प्रभारी द्वारा किए गए उपायों व प्रयासों उपरांत भी बीमारी, महामारी, कीटों की पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं पाती है और यदि इसकी वजह से फलों की कोई हानि होती है तो इस एवज में ठेकेदार को कोई भी आर्थिक छूट या राहत नहीं दी जाएगी।
- 31 ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगा। इस मामलों में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी धरोहर राशि जब्त कर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- 32 ठेकेदार बाग में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे फल वृक्षों या बाग को कोई नुकसान पहुँचे। वह अपनी इच्छा से या स्वयं किसी दवा का छिड़काव, खुदाई, कटाई, आग जलाना, कोई निर्माण आदि कार्य नहीं करेगा। अगर ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति फार्म सम्पत्ति को पहुँचती है तो फार्म द्वारा क्षति की ऑकलित राशि, ठेकेदार को फार्म में जमा करानी होगी।
- 33 यदि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्चे पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा। उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 34 यदि उपरोक्त अनुबंध/करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को संदर्भित किया जाएगा, जिनको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं अथवा अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बिट्रेटर) के द्वारा विवाद का निपटान आर्बिट्रेशन एंड कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराएं /पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगा कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बिट्रेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
- 35 आर्बिट्रेटर एंड कानसिलिएशन के उपरांत भी यदि कोई विवाद होता है तो उसका न्याय क्षेत्राधिकार फार्म की परिधि से सम्बन्धित होगा।

उद्यान अधिकारी
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सरदारगढ़ (श्री गंगानगर)